राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक: प. 5(5)प्र.सु./अनु–4/निरीक्षण/2006 जयपुर, दिनांक: 06.11.2007

–: परिपत्र :–

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 35/99 दिनांक 15.3.1999 के अनुसरण में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.27(3)केबि./99 दिनांक 19.5.1999 (प्रति संलग्न) एवं इसके परिपेक्ष्य में समय–समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5.12.2006 एवं 6.12.2006 तथा राजस्थान कार्यविधि नियम के अन्तर्गत अभाव अभियोग विभाग को आवंटित कार्यों (प्रति संलग्न) के तहत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की अनुपालना विभिन्न विभागों द्वारा समुचित एवं समय पर नहो की जा रही है । अतः उक्त संदर्भित अधिसूचना एव राजस्थान कार्यविधि नियम के अन्तर्गत समय–समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में राजकीय कार्यालयों/संस्थानों/निगमों आदि में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने के लिए इस विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग एव जन अभियोग निराकरण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दल गठन किये गये है जो सामूहिक रूप से एव पृथक–पृथक रूप से सभी जिलों मे समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे ।

निरीक्षण के दौरान उक्त निरीक्षण दल विशेष तौर से निम्नांकित बिन्दुओं पर निरीक्षण/समीक्षा करेंगे :–

1. **प्रशासनिक सुधार दल**

1) अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति ।
2) अवकाश ।
3) लम्बित विचाराधीन पत्र ।
4) रिक्त पद ।
5) लम्बित विभागीय जांच/प्राथमिक जांच ।
6) आडिट पैरा ।
7) कोर्ट केसेज ।
8) जिला प्रभारी मंत्री एवं जिला प्रभारी सचिव के दौरा करने के उपरान्त जारी रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही बाबत ।
9) निरीक्षण प्रतिवेदनों की पालना ।
10) राजकीय दौरो एवं रात्रिकालीन विश्राम के बारे में जारी निर्देशों की पालना ।

2. **जन अभियोग निराकरण निरीक्षण दल**

1) सतर्कता समिति बैठक से सबंधित प्रकरण ।
2) जन सुनवाई प्रकरण ।
3) लम्बित जन अभाव अभियोग ।
4) अधिकारी/कर्मचारियों के अभाव अभियोग ।
5) लम्बित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ।
6) लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति तथा लम्बित पेंशन प्रकरण ।
7) जन प्रतिनिधियों के पत्रों का निस्तारण ।

उक्त दल राजकार्य में गति लाने एवं लम्बित अभाव अभियोग के अविलम्ब निस्तारण किये जाने के उद्धेश्य से गठित किये गये हैं । अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि निरीक्षण दलों को पूर्ण सहयोग करें तथा आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को भी निर्देशित करें कि निरीक्षण दलों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, राजस्थान ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
4. समस्त जिला कलक्टर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

प्रमुख शासन सचिव